(1) # Public corporation : लोक निगम

निगम → निरन्तर चलते रहने वाले व्यापारिक या औद्योगिक संगठन

लोकनिगम → आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है।

→ इसकी स्थापना केंद्रीय या प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है।

→ भारतीय जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा राज्य व्यापार निगम ऐसे निगम हैं जिनकी स्थापना संसद से पारित अधिनियमों द्वारा की गई है।

→ सन् 1935 में स्थापित RBI देश का सबसे पुराना निगम है।

→ लोक निगम सरकारी अंश रहित या सरकारी अंश सहित हो सकता है।

स्थापना →

समान्यतः चार उद्देश्य रहते हैं —

1 → वित्त, ऋण सुविधाओं तथा आर्थिक क्रियाओं को विस्तारित करना

→ किसी औद्योगिक या व्यापारिक संगठन का प्रबंधन और संचालन करना

→ किसी भौगोलिक क्षेत्र को विकसित करना।

→ सरकार की किसी नीति या लक्ष्य पूर्ति हेतु विशेष प्रयास करना।

अमेरिकी राष्ट्रपति F. D रूजवेल्ट —

लोक निगम, व्यावसाय का एक आदर्श स्वरुप है जिसमें सरकारी नियंत्रण तथा निजी उद्योगों की लोचशीलता एवं पहल करने की क्षमता की विशेषता पायी जाती है।

डिमॉक — लोक निगम, वह सरकारी उपक्रम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने या वित्तीय ~~सहायता~~ उद्देश्य को ~~पूरा~~ प्राप्त करने के लिए किसी केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय कानून के अंतर्गत की गई हो।

हरबर्ट मोरीसन —

लोक निगम, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व तथा व्यापार प्रबंधन का संयोजन है।

अर्थात लोक निगम के बारे में यह कह सकते हैं कि

1- सरकार के किसी कानून के द्वारा स्थापित होते हैं।

2- स्वतंत्र अस्तित्व (एकव्यक्ति) प्राप्त होते हैं

3- किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु बनाये जाते हैं

4- स्वायत्तता तथा नियंत्रण का मिश्रित स्वरुप होता है।

लोक निगम की विशेषताएं —

→ इन पर राज्य का पूर्णरूपेण स्वामित्व होता है।
→ एक विशेष अधिनियम के माध्यम से इनकी शक्तियों, कर्तव्यों, स्वायत्तता एवं प्रबंधन प्रणाली का वर्णन कर दिया जाता है।
→ वैधिक कार्यों की दृष्टि से लोक निगम एक पृथक अस्तित्व रखते हैं अर्थात इन पर मुकदमा किया जा सकता है। स्वयं निगम भी किसी पर मुकदमा कर सकते। सम्पत्ति अर्जित एवं धारण कर सकता है।
→ वित्तीय नियंत्रण के अलावा प्रशासनिक नियमों एवं प्रबंधकीय कानूनों से निगम मुक्त होते हैं।
→ लोक निगमों के अधिकांश कार्मिक लोक सेवक नहीं होते हैं हालांकि इनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नती, वर्गीकरण तथा वेतन इत्यादि कार्मिक कार्य स्वयं निगम निर्धारित करता है।
→ लोकनिगम में नीति-निर्धारण कार्यों में मंत्री की भूमिका रहती है।
→ इनके निदेशक मण्डलों के सदस्यों के चयन में सरकार की भूमिका निर्णायक रहती है.
→ निदेशक मण्डल के सदस्य सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।
→ लोक निगम जन सेवा के लिए बनाये जाते हैं। लाभ कमाना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है.
→ संसद में इनके सम्बंध में प्रश्न पूछ सकते हैं।

लोक निगमों के कार्य संचालन हेतु सरकार द्वारा निदेशक मण्डल (Board of Directors) की एक निश्चित अवधि तक नियुक्ति की जाती है इस मण्डल में सदस्यों की संख्या सामान्यतः 10 से 15 तक रहती है।

→ ये सदस्य प्रशासनिक सेवाओं, प्रबंधक विज्ञानी, व्यावसायी तथा इंजीनियर इत्यादि को निदेशक मण्डल में पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य बनाया जाता है।

निदेशक मण्डल
- नीति मण्डल → नीतियों के निर्धारण का कार्य
- कार्यात्मक मण्डल → निगम के आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण करते हैं।